



क्षेत्रीय विकास योजना योजना जोन-के-2

(द्वारका)



ZDP for Zone K-II (Dwarka)
Authenticated on behalf of
Government of India vide
Letter No. K-12011/3/2010-DDIB


(U. Viswanadham)
Under Secretary
M/o Urban Devt.
Govt. of India

(**डॉ. विश्वनाथम् / U. VISWANADHAM**)
अवर सचिव, भारत सरकार
Under Secretary to the Govt. of India
शहरी विकास मंत्रालय
Ministry of Urban Development
निर्माण भवन, नई दिल्ली
Nirman Bhawan, New Delhi

पत्र सं. के 12011/23/2009/डी.डी.आई.बी. दिनांक 08-03-2010 के द्वारा
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के आधार पर संशोधित



दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारका परियोजना

प्रस्तावना

केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-A के अंतर्गत पत्र सं. के-12011/23/2009-डी.डी.आई.बी. दिनांक 8 मार्च, 2010 और 26 मई 2010 के माध्यम से जोन-‘के-2’ (द्वारका) के लिए क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित की गई है।

सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक सहित), शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का नियमन क्षेत्रीय विकास योजना (रिपोर्ट) के अध्याय 2.4.2 में दी गई शर्तों/समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों को पूरा करने की शर्त पर होगा।

एम.आर.टी.एस/मुख्य परिवहन कॉरिडोर के साथ प्रभाव जोन पर क्षेत्रीय विकास योजना (रिपोर्ट) के अध्याय 2.4.1 के अनुसार और समय-समय पर भारत सरकार के अनुमोदन से दि.वि.प्रा. द्वारा यथा अधिसूचित दिशा-निर्देशों और शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।



क्षेत्रीय विकास योजना के-2 (द्वारका)

विषय सूची

1.0	भूमिका	
1.1	पृष्ठभूमि, अवस्थिति, सीमाएं एवं क्षेत्र	1
1.2	सांविधिक प्रावधान और उद्देश्य	1
1.3	पहले से अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना	2-3
2.0	क्षेत्रीय विकास योजना प्रस्ताव	
2.1	जनसंख्या एवं रोजगार	3
2.2	आवासीय विकास	3-6
2.3	कार्य केन्द्र	6-7
2.4	सामाजिक आधारिक संरचना	7-9
2.5	परिवहन नेटवर्क	9-11
2.6	पर्यावरण/महत्वपूर्ण क्षेत्र	11
2.7	शहरी डिजाइन के लिए क्षेत्र	11
2.8	निर्मित विरासत का संरक्षण	11
2.9	भौतिक आधारिक संरचना	11-12
2.10	हरित पट्टी	13
2.11	मनोरंजनात्मक उपयोग	13
2.12	प्रस्तावित भूमि उपयोग	13-14
2.13	चरण एवं कार्यान्वयन	15
2.14	प्लान का पुनरीक्षण और मॉनीटरिंग	15-16
	अनुबंध	
i)	दि.मु.यो.-2001 एवं दि.मु.यो.-2021 के अंतर्गत तैयार क्षेत्रीय योजनाओं में भिन्नता	17
ii)	क्षेत्रीय योजना में सम्मिलित संशोधन	18-19
iii)	पूर्व-विद्यमान संस्थानों की अनन्तिम सूची	20-21
iv)	जोन के-2 में अनधिकृत कॉलोनियों की सूची	22-26



नक्शे

- | | | |
|------|--------------------------------|----|
| i) | अवस्थिति नक्शा | 27 |
| ii) | विद्यमान निर्मित क्षेत्र नक्शा | 28 |
| iii) | भूमि उपयोग नक्शा | 29 |



क्षेत्रीय विकास योजना योजना जोन-के-2 (द्वारका)

जोन-के-2 (द्वारका) की क्षेत्रीय विकास योजना

1.0 भूमिका :

दिल्ली विकास अधिनियम-1957 के अंतर्गत दिनांक 7.2.2007 को अधिसूचित दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 15 जोनों में बँटा हुआ है, जिसमें से 8 जोन (ए से एच) शहरी क्षेत्र में आते हैं और शेष 6 जोन (जोन 'जे' से 'पी', जोन 'आई' को छोड़कर) दि.मु.यो.-2021 के शहरी योग्य क्षेत्र में हैं ।

1.1 पृष्ठभूमि, अवस्थिति, सीमाएं और क्षेत्र :

5924 हेक्ट. क्षेत्र सहित योजना जोन के-2 में द्वारका उपनगर और बिजवासन रोड और रा.रा.क्षे. दिल्ली की सीमा के बीच का क्षेत्र शामिल है, जो पूर्व में दिल्ली रिवाड़ी रेलवे लाइन से, दक्षिण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा से, पश्चिम में नजफगढ़ नाले से ओर उत्तर में नजफगढ़ रोड और पंखा रोड से घिरा हुआ है ।

1.2 सांविधिक प्रावधान और उद्देश्य :

दि.मु.यो.-2001 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 15 जोनों-ए से एच और जे से पी (जोन आई. को छोड़कर) में बँटा हुआ है, जिसमें से 8 जोन शहरी क्षेत्र में हैं, एक नदी तट में है और शेष 6 ग्रामीण क्षेत्र में हैं । अब ग्रामीण क्षेत्र को दि.मु.यो. 2021 में शहरीकरण के लिए निर्धारित किया गया है ।

दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-8 में व्यवस्था है कि मुख्य योजना को तैयार करने के साथ-साथ अथवा जितना जल्दी हो सके, जोनल विकास योजना तैयार की जानी चाहिए, इसलिए प्राधिकरण प्रत्येक जोन के लिए, जिनमें दिल्ली को विभाजित किया गया है, जोनल विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही करेगा। तथापि, जोनल विकास योजना में एक साइट प्लान और भूमि उपयोग प्लान जिसमें अनुमानतः अवस्थिति और भूमि उपयोग की सीमा जैसे सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक भवन/वर्क सेंटर/उपयोगिताएं, सड़कें, आवास, मनोरंजन, उद्योग, व्यावसाय बाजार, स्कूल, अस्पताल, खुले स्थान आदि होने चाहिए। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-10 में उस पद्धति की व्यवस्था है जिसे जोनल विकास प्लान तैयार करते समय और अनुमोदित करते समय अपनाया जाएगा।

क्षेत्रीय विकास योजना का अभिप्राय जोन (डिवीजन) के लिए एक योजना से है जिसमें सामाजिक आधारिक संरचना, पार्कों और खुले स्थानों, परिचालन प्रणाली इत्यादि के प्रावधान से संबंधित सूचना हो। प्रत्येक क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्य योजना में बताई गई 9 'भूमि उपयोग' श्रेणियों में निर्धारित वास्तविक उपयोग-जोनों के साथ-साथ प्रस्तावित उपयोग जोनों को भी दर्शाती है, जिसके अनुसार जोन में क्षेत्र को अन्ततः विकसित किया जाना है। क्षेत्रीय विकास योजना में दर्शाए गए उपयोग-कर्ता मालिकों को निर्धारित उपयोग के लिए उनकी सम्पत्ति/भूमि को उपयोग करने का स्वतः अधिकार नहीं देंगे।



संबंधित विभागों द्वारा आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर, शहरी योग्य क्षेत्र दि.मु.यो.-2021 में निर्दिष्ट शहरीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चरणबद्ध तरीके से विकास हेतु खुले रहेंगे। क्षेत्रीय विकास योजना में दर्शाए गए शहरी विकास का क्रम मुख्य योजना-2021 की तालिका 3.3 के अनुरूप होना है।

1.3 पहले से अनुमोदित जोनल विकास प्लान :

जोन के-2 (द्वारका) की जोनल विकास योजना दिल्ली मुख्य योजना-2001 के उपबंधों के अंतर्गत तैयार की गई जो भारत सरकार की अधिसूचना सं. के-13011/7/2006-डी.डी.आई.बी. दिनांक 7.8.2006 के अनुसार अनुमोदित और अधिसूचित की गई।

1.3.1 जोनल विकास योजना को तैयार करने के लिए फ्रेमवर्क

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका के लिए संरचना योजना तैयार की, जो मद सं. 81/92 दिनांक 7.7.92 के अनुसार दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित की गई। इस संरचना योजना में 29 सैक्टरों की व्यवस्था है। बाद में सैक्टर योजनाओं को तैयार करने का कार्य आरम्भ किया गया और 1 से 26 सैक्टरों के ले-आउट प्लान पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं। दि.वि. अधिनियम,1957 तथा दि.मु. यो.-2021 में व्यवस्था है कि जोनल विकास योजना तैयार करने के लिए अनुमोदित संरचना योजना और सैक्टर योजनाओं के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाए।

1.3.2 भूमि उपयोग योजना (2001)

पहले जोन 'के.' (पार्ट) द्वारका उपनगर की जोनल विकास योजना दि.मु.यो.-2001 के अनुसार तैयार की गई थी जिसमें प्राधिकरण द्वारा मद सं. 81/92 दिनांक 7.7.92 के अनुसार अनुमोदित संरचना योजना, शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 6.11.93 की अधिसूचना और फेज-1 के संबंध में भूमि उपयोग के परिवर्तन के संबंध में दिनांक 30.8.94 के शुद्धि-पत्र तथा फेज-2 के संबंध में प्राधिकरण की मद सं. 86/96 दिनांक 27.8.96 द्वारा अनुमोदित भूमि उपयोग के प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रखा गया था। द्वारका फेज-II के संबंध में भूमि उपयोग के परिवर्तन को शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिनांक 16-10-2000 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया। जोन-के. (पार्ट) द्वारका फेज-1 और फेज-2 के भूमि उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका-1

दि.मु.यो.-2001 के अनुसार भूमि उपयोग विवरण:

क्रम सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1.	आवासीय क) निर्मित ख) द्वारका सैक्टरों का नियोजित क्षेत्र	2912.3 1688 (29.89 प्रतिशत) 1224.3 (21.67 प्रतिशत)	51.56
2.	व्यावसायिक क) व्यावसायिक ख) सेवा केन्द्र	352.13 239.13 113.00	6.24
3.	सरकारी उपयोग	91.36	1.62
4.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	369.94	6.55
5.	उपयोगिता	138.76	2.46



6.	मनोरंजनात्मक	1006.18	17.81
7.	परिवहन	777.33	13.76
	कुल	5648.00	100.00

2.0 क्षेत्रीय विकास योजना प्रस्ताव :

2.1 जनसंख्या एवं रोजगार :

दि.मु.यो.-2021 के अनुसार, जोन के-2 में बसावट की क्षमता, 13 लाख की जनसंख्या के लिए प्रस्तावित है। बिजवासन सड़क और रा.रा.क्षेत्र दिल्ली की सीमा के बीच की भूमि को इस जोन के क्षेत्र में जोड़कर इसमें 5648 हेक्टेयर से 5924 हेक्टेयर की वृद्धि हो गई है (अनुबंध-i देखें)। वर्ष 2021 तक 11 लाख से 13 लाख की जनसंख्या की वृद्धि को जोन के-2 के निर्मित क्षेत्र में समायोजित कर लिया जाएगा।

द्वारका उप नगर (जोन के. (पार्ट) के लिए दि.मु.यो.2001 के अनुसार दर्शाई गई प्रस्तावित जनसंख्या 11 लाख थी, जिसको समायोजित करना था। द्वारका उप नगर में 5648 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जिसमें से, 1688 हेक्टेयर निर्मित के रूप में निर्धारित है और शेष 3960 हेक्टेयर सेक्टर 1 से 29 को नियोजित/नियमित विकास के रूप में निर्धारित हैं। द्वारका के नियोजित सेक्टरों जो कि सेक्टर 1 से 23 हैं की अनुमानित जनसंख्या 7 लाख है। बचे हुए आवासीय क्षेत्र सेक्टर 19 पार्ट, 23, 24 एवं 26 लगभग 90 हेक्टेयर, में केवल 50,000 जनसंख्या समायोजित की जा सकती है। सेक्टर 27, 28 एवं 29 कम घनत्व विकास के लिए नियोजित किए जाएंगे। अतः दि.मु.यो. 2021 में अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या को विभिन्न पुनर्विकास योजनाओं के अंतर्गत विद्यमान निर्मित क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा। निर्मित क्षेत्र में समायोजित की जाने वाली जनसंख्या लगभग 6.5 लाख होगी। अनुमानित जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2001 में निर्मित क्षेत्र में विद्यमान जनसंख्या 3.3 लाख है। बढ़े घनत्व और प्लॉटों के लिए एफ.ए.आर. मानको को ध्यान में रखते हुए, शेष 3.2 लाख की जनसंख्या को इस निर्मित क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा।

2.2 आवासीय विकास

2.2.1 नए आवासीय क्षेत्र :

द्वारका में नई आवासीय क्षेत्र इकाइयां सेक्टर 19, 23, 24 एवं 26 में प्रस्तावित हैं। इन सेक्टरों का विकास कम घनत्व पर किया जाएगा।

2.2.2 विद्यमान निर्मित क्षेत्रों की पुनः संरचना तथा उन्नयन/पुनर्विकास :

1688 हेक्टेयर के पूर्ण निर्मित क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव है जिसके लिए पुनर्विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। इस क्षेत्र में मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक मार्ग/सड़कें स्थानीय निकाय/सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार होंगी।

2.2.3 अनियोजित क्षेत्र : गांव और अनधिकृत कालोनियां, नियमित अनधिकृत कालोनियां :



i) गांव : के-2 जोन में ग्यारह गांव आबादी विद्यमान हैं । सात गांव द्वारका के नियोजित विकास से घिरे हुए हैं और चार गांव निर्मित क्षेत्र में आते हैं । निम्नलिखित गांव के-2 में गांव आबादी क्षेत्र में आते हैं :

पालम
बागडोला
नसीरपुर
डाबड़ी
बिन्दापुर
अम्बरहाई
ककरौला
पोचनपुर
भरथल
धूलसिरस
बामनौली

इन गांवों के लिए गांव विकास प्लान तैयार किए जाने हैं। साथ लगे सैक्टरों और द्वारका में उपलब्ध कराई गई कुछ सुविधाएं गांव में सुविधाओं की कमी को पूरा करेंगी। इन गांवों की गांव सभा भूमि को नियोजित करना है और इनका उपयोग मुख्यतः सामाजिक सुविधाओं और मनोरंजन के लिए किया जाएगा। गांव और उसके आसपास के क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग की सीमा निर्धारित होगी। ऐसी गतिविधियां जिनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है और जिनकी प्रकृति जोखिम भरी होती हो उन्हें मिश्रित उपयोग में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक गांव में दमकल गाड़ियों, चिकित्सा आपातकाल और प्राकृतिक आपदा के समय उपयुक्त आपात पहुंच मार्ग होना चाहिए, गांव में दमकल गाड़ियों का प्रवेश जितनी दूरी तक सम्भव होगा कराया जाएगा।

गांवों में विभिन्न भूमि उपयोगों तथा सघन भवन आकार में एकरूपता, मानक परिचालन स्थल और कम ऊंचाई वाले उच्च आयाम विकास के मिश्रण की विशेषताएं हैं । इनमें मुख्यतः आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग का समायोजन होता है और यह मिश्रित रूप में कार्य करता है। संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा आबादी क्षेत्र के अंदर अधिकतम सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने और उसे आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने के उद्देश्य से 'गांव पुनर्विकास क्षेत्र की व्यापक योजना' तैयार की जाएगी। गांव की परिधि के साथ-साथ विकास की योजना ध्यानपूर्वक बनानी होगी।

सामाजिक और शैक्षिक सुविधाएं न्यूनीकृत स्थल मानकों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। भूमि की उपलब्धता के अनुसार समाज सदन, डिस्पेंसरी आदि की सुविधाओं को इकट्ठा कर दिया जाएगा । गांवों में मिश्रित भूमि उपयोग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवासीय प्लॉटों पर भूतल पर नीति के अनुसार छोटी दुकानें अनुमत होंगी।

ii) अनधिकृत कॉलोनियां : .

जोन के-2 में मौजूदा निर्मित क्षेत्र और ककरौला के आसपास भी द्वारका के सैक्टर-14 एवं 15, 16 ए तथा बी में अनधिकृत कॉलोनियां बड़ी संख्या में हैं। इन अनधिकृत कॉलोनियों का पुनर्विकास



द्वारका की संरचना के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि ये सैक्टर दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार तथा अनुमोदित किए गए हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया रा.रा.क्षे0, दिल्ली सरकार द्वारा समन्वित की जा रही है। अनधिकृत कॉलोनियों का नियमन एक सतत् प्रक्रिया है और यह समय-समय पर अनुमोदित भारत सरकार के दिशानिर्देशों पर आधारित होता है। प्रत्येक जोन में पड़ने वाली अनधिकृत कॉलोनियों की अनंतिम सूची प्रत्येक जोनल प्लान के साथ संलग्न की गई है। गांव आबादी के मामले में किसी भी उपयोग जोन में अवस्थित अंतिम रूप से अनुमोदित अनधिकृत कॉलोनियों का 'भूमि उपयोग', किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत 'आवासीय' होगा।

iii) नियमित अनधिकृत कालोनियां :

जोन के-2 के निर्मित क्षेत्र में कई नियमित अनधिकृत कालोनियां हैं। इन कालोनियों के लिए पुनर्विकास योजना मुख्य योजना नीति के अनुसार तैयार की जाएंगी। सभी अनधिकृत कालोनियों का (सेक्टर-14, 15, 16 और 18 में आने वाली कालोनियों को छोड़कर), चाहे वह निजी अथवा सरकारी भूमि पर हो, समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार नियमन किया जाएगा। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि भौतिक और सामाजिक आधारिक संरचना सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं और सामाजिक सुविधाओं का न्यूनतम आवश्यक/व्यवहार्य स्तर उपलब्ध कराया जा रहा है।

1) भौतिक : संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्लान तैयार किए जाएंगे।

2) सामाजिक : सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए, न्यूनीकृत स्थान मानक अपनाए जाएंगे। भूमि की उपलब्धता के अनुसार समाज सदन, डिस्पेंसरी आदि जैसी सुविधाओं को इकट्ठा किया जा सकता है।

क) प्राथमिक विद्यालय 5000 की जनसंख्या पर 800 वर्ग मीटर

ख) उच्चतम माध्यमिक विद्यालय 10000 की जनसंख्या पर 2000 वर्ग मीटर

शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के आधार पर विद्यमान मान्यताप्राप्त विद्यालयों के लिए इन मानकों में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।

ग) निम्नलिखित सुविधाओं को जोड़कर एक मिश्रित सुविधा केन्द्र बनाया जा सकता है (500-1000 वर्ग मीटर)

बहु उद्देश्यीय समाज सदन - 100 वर्ग मीटर

बस्ती विकास केन्द्र - 100 वर्ग मीटर

धार्मिक स्थल - 100 वर्ग मीटर

पुलिस पोस्ट - 100 वर्ग मीटर

स्वास्थ्य केन्द्र - 100 वर्ग मीटर

पार्क/शिशु वाटिका - 200 वर्ग मीटर

मिल्क बूथ, उचित मूल्य की दुकान, मिट्टी के तेल की दुकान आदि जैसी अनिवार्य फुटकर दुकानों हेतु क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

जहां भी आवश्यक होगा, अनौपचारिक व्यापार इकाइयां और साप्ताहिक बाजार के लिए व्यवस्था की जाएगी।



2.2.4 फार्म हाउस

फार्म हाउसों की अनुमति और संस्वीकृति मुख्य योजना-1962 और 2001 के प्रावधान के अन्तर्गत दी गई थी। दि.मु.यो.-2021 के अनुसार, फार्म हाउसों की अनुमति अब केवल 'हरित पट्टी' में ही दी गई है। सभी विद्यमान फार्म हाउसों पर 'सरकार की फार्म हाउसों संबंधी नीति' के अनुसार विचार किया जाएगा।

2.2.5 मिश्रित उपयोग :

जोन के-2 क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति मुख्य चौराहों पर नियोजित प्रकार से दी गई है। इसके अतिरिक्त, मिश्रित उपयोग की अनुमति दि.मु.यो.-2021 के प्रावधान के अनुसार दी जाएगी।

2.2.6 शहरी गरीबों के लिए आवास :

निर्मित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूमि, सेना के कर्मचारियों के लिए समूह आवास योजनाओं के रूप में निर्मित इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनके लिए पाकेट/क्षेत्र विस्तृत शहरी पुनर्विकास प्लान के समय पर निर्धारित किए जाएंगे।

2.2.7 एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर के साथ उच्च सघनता विकास :

के-2 जोन (द्वारका) में मेट्रो कॉरिडोर (30 मीटर चौड़ा) जो रेखीय जिला केन्द्र से होकर गुजरता है, सै0 21, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में इस पर विचार, नियोजन और क्रियान्वयन किया गया, क्योंकि यह पूर्व नियोजित मेट्रो कॉरिडोर है, अतः मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ सघनता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तैयार की गई क्षेत्रीय विकास योजना में कॉलोनी-सड़कों की संख्या, स्थानीय नाले, हाई टेंशन वायर्स, विरासत क्षेत्र आदि निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। अतः क्षेत्रीय विकास योजना में प्रभावी जोन की सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। यह केवल स्थानीय क्षेत्रीय योजनाओं में दर्शाया जाएगा, जो कि अधिक स्थल-विशिष्ट हैं। तथापि, यदि एम आर टी एस/प्रमुख परिवहन कॉरिडोर की केन्द्रक-रेखा के 500 मीटर के अन्दर कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, दिल्ली मुख्य योजना में पुनर्विकास हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप इसकी जांच की जाएगी।

2.3 कार्य-केन्द्र

2.3.1 उद्योग

द्वारका उप नगर वाले के-2 जोन में, हवाई अड्डा समीप होने के कारण कोई भी औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है। हालांकि, द्वारका के सैक्टर 29 और सैक्टर 20 और सैक्टर 25 में पहले से ही सेवा केन्द्र बनाए गए हैं। रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार की अधिसूचना सं. एफ.1/सी. 1/पॉलिसी/इंसीटू/डाबरी/2005/02/546, दिनांक 2-12-05 द्वारा डाबरी के पुनर्विकास हेतु औद्योगिक सघनता के नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया है। चारदीवारी की रूपरेखा दि.मु. यो.-2021 की अधिसूचना और प्रावधानों के अनुसार होगी।



2.3.2 व्यापार एवं वाणिज्य, थोक बाजार

द्वारका उप नगर के नियोजित सैक्टर में व्यावसायिक केन्द्रों की श्रृंखला, द्वारका मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ रेखीय जिला केन्द्र, प्रत्येक सैक्टर में समाज सदन तथा स्थानीय बाजार और सुविधा बाजार के रूप में है। इसके अतिरिक्त, सैक्टर 6, 10 और 11 में मुख्य यातायात चौराहों पर मिश्रित भूमि उपयोग प्लाट प्रस्तावित हैं। सैक्टर 25 एवं 26 में 143 हेक्टेयर क्षेत्र का एक एकीकृत भाड़ा परिसर प्रस्तावित है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट होने के कारण मुख्यतः हवाई कार्गो व्यापार तथा थोक व्यापार के भाग के रूप में अन्य कुछ वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

2.3.3 अनौपचारिक व्यापार एवं वाणिज्य :

नए सैक्टरों में, अनौपचारिक व्यापार सेवा बाजार प्रस्तावित किए जा रहे हैं। निर्मित क्षेत्र में, जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध होती है वहां पुनर्विकास प्लान के भाग के रूप में ऐसे अनौपचारिक बाजार प्रस्तावित किए जाएंगे।

2.3.4 सरकारी कार्यालय :

के.-2 जोन (द्वारका) में 1.68 प्रतिशत भूमि सरकारी उपयोग के लिए प्रस्तावित की गई है।

2.4 सामाजिक आधारिक संरचना :

जोन के.-2 की क्षेत्रीय योजना में दि.मु.यो.-2001 के मानदण्डों के अनुसार सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराई गई है। अतिरिक्त जनसंख्या के लिए जिसे दि.मु.यो.-2021 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में समायोजित करना प्रस्तावित है, सामाजिक आधारिक संरचना की सुविधाओं को न्यूनीकृत क्षेत्र मानदण्डों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल सुविधाओं, संचार, रक्षा एवं सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं के लिए सामाजिक आधारिक संरचना का विवरण निम्नानुसार है :

सामाजिक आधारिक संरचना

तालिका-2

क्रम सं.	सामाजिक आधारिक संरचना	दि.मु.यो.-2021 के अनुसार के-2 में प्रस्तावित।* सेक्टर 1 से 29
1.	स्वास्थ्य : •जनरल अस्पताल •इन्टरमीडिएट अस्पताल 'ए. एवं बी.' •पौलीक्लीनिक •नर्सिंग होम •मैटरनिटी होम	3 13 2 8 5
2.	शिक्षा : •विश्वविद्यालय •कॉलेज •उच्च शिक्षा संस्थान	1 3 7
3.	खेल सुविधाएं : •खेल परिसर •मनोरंजनात्मक क्लब	8 1
4.	संचार : •आर.एल.यू./टेलीफोन एक्सचेंज •डाकघर	6 2



5.	रक्षा एवं सुरक्षा : •पुलिस स्टेशन •फायर स्टेशन	4 5
6.	अन्य : •ई.एस.एस. 220/66 के.वी. •बस टर्मिनल/बस डिपो •जिला/सामुदायिक पार्क •समाज केन्द्र •गंदे पानी के शोधन की सुविधा •सीवरेज पम्पिंग स्टेशन	3/11 5 3 10 1 4
7.	•श्मशान भूमि •कब्रिस्तान •गैस क्रिमेटरियम •सिमिट्री	सैक्टर-24 एवं सैक्टर-29 में एक-एक

* ये आंकड़े अनुमानित हैं। निर्मित क्षेत्र में पुनर्विकास योजना तैयार करते समय और नियोजित और अनुमोदित किए जाने वाले सैक्टरों में और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

2.4.1 निर्मित क्षेत्र में पुनर्विकास योजनाएं तैयार करते समय और भूमि की उपलब्धता की पहचान करके विद्यमान और प्रस्तावित सुविधाओं का हिसाब लगाया जाएगा। नियमन के लिए विद्यमान सुविधाओं पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे मुख्य योजना सड़कों, आधारिक संरचना कॉरिडोर/सेवाओं, उपयोगिताओं को दि.मु.यो.-2021 मानदण्डों के स्तर पर प्रभाव न डालें। इसके साथ यह भी शर्त है कि सभी शुल्कों और प्रभारों जैसे परिवर्तन प्रभारों, सुधार प्रभारों, अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों आदि का ले-आउट प्लान और भवन नक्शे का नियमन करते समय भुगतान किया जाए।

2.4.2 दिनांक 01/01/2006 से पहले अपने स्वामित्व वाली भूमि जिसमें ग्राम सभा या रिज भूमि शामिल नहीं है, पर विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक (आध्यात्मिक सहित संस्थानों का विनियमन।

2.4.2.1 इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में प्राधिकरण ने मुख्य योजना की 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' भूमि उपयोग की श्रेणी में उक्त उपयोगों/कार्यकलापों को शामिल करने एवं विनियमित करने का संकल्प पारित किया। विद्यमान संस्थाओं के आवेदन-पत्रों, जो अनुबन्ध-III के रूप में सूचीबद्ध हैं, की प्राधिकरण के संकल्प और समय-समय पर जारी किये गए केन्द्र सरकार के निदेशों के अनुसार जाँच की जाएगी। तथापि, अधिसूचित रिज/आरक्षित वन/क्षेत्रीय पार्क के अत्यधिक समीप स्थित विद्यमान संस्थाओं का विनियमन पूर्वोक्त संबंधित उपयोग जोनों/क्षेत्रों की चारदीवारी को अंतिम रूप दिये जाने एवं सीमांकित किए जाने की शर्त के अधीन किया जाएगा।

2.4.2.2 सांस्कृतिक, स्वास्थ्य देखभाल एवं शैक्षिक संस्थानों के मामले में इन संस्थानों की संरचनाओं जो दिनांक 1/1/2006 को बनी हुई हों लेकिन जो दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू संबद्ध प्रावधानों के बाद न बनी हों, पर विनियमन के लिए विचार किया जाएगा। तथापि विद्यमान धार्मिक संस्थाओं (आध्यात्मिक सहित) और इसके साथ-साथ फिलहाल उनके स्वामित्व वाली भूमि का विनियमन



इस शर्त के आधार पर किया जाएगा कि – (क) इन मामलों में निर्मित क्षेत्र अधिकतम 15% भूतल कवरेज सहित 15 एफ.ए.आर. से अधिक नहीं होगा; (ख) उन भवनों तक सीमित होगा, जो सीधे रूप से धार्मिक (आध्यात्मिक सहित) उपयोग कार्यकलापों से संबंधित है; (ग) दिनांक 1/1/2006 को यथा विद्यमान संरचनाओं पर ही विचार किया जाएगा; (घ) शेष क्षेत्र 'हरित क्षेत्र' के रूप में रखा जाएगा और उस पर भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त सभी संस्थाओं का विनियमन इस योजना के अनुबंध-III में सूचीबद्ध की गई संस्थाओं या 8 मार्च, 2010 को अथवा उससे पहले सरकार को दि.वि.प्रा. द्वारा अनुशंसित मामलों तक ही सीमित होगा और यह नियमन इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही किया जाएगा कि भूमि उपयोग का परिवर्तन जब भी अपेक्षित होगा, दि.मु.यो. 2021 के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत अधिसूचित है। यह इस शर्त के अधीन भी होगा कि ऐसे प्रत्येक मामले पर विनियमन हेतु विचार नहीं किया जाएगा, यदि विचाराधीन स्थल निम्न स्थानों पर स्थित है :-

- क. सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर अथवा दि.वि.प्रा. द्वारा अधिग्रहित भूमि पर;
- ख. अतिक्रमण की गई भूमि पर अथवा अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि पर;
- ग. अधिसूचित अथवा आरक्षित वन क्षेत्र में;
- घ. मार्गाधिकार आधारिक संरचना के क्षेत्र में जैसे विद्यमान/प्रस्तावित रेलवे लाइनों/मुख्य योजना सड़कों, जलापूर्ति की बड़ी लाइनों और सीवर लाइनों आदि में;
- ङ अथवा यदि यह प्राचीन स्मारकों और पुरातत्त्व अवशेष अधिनियम, 1958 के समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों का उल्लंघन करता हो;
- च. अथवा उन मामलों में जहां पर न्यायालय का आदेश भूमि उपयोग के परिवर्तन को रोकने अथवा परिसरों से बेदखली/खाली करने के लिए दिया गया हो।

2.4.2.3 इसके अतिरिक्त, इन श्रेणियों की संस्थाओं के विनियमन के आदेशों को तब तक यथा अनुमोदित नहीं माना जाएगा, जब तक कि आवेदक संस्थाओं द्वारा जुर्माने/वसूली/अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार आदि का अपेक्षित भुगतान नहीं किया जाए, सरकार द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों को पूरा न कर दिया जाए और दि.वि.प्रा. द्वारा औपचारिक 'विनियमन आदेश' जारी न कर दिये जाएं। तथापि, उपर्युक्त में से कोई भी संस्था किसी भी समय उस भूमि का उपयोग किसी अन्य उपयोग के लिए करने की हकदार नहीं होगी और संस्थाओं द्वारा ऐसा करने पर दि.वि.प्रा. उचित मुआवजे का भुगतान करके उस भूमि को वैकल्पिक उपयोग हेतु अपने कब्जे में ले लेगा।

2.5 परिवहन नेटवर्क

2.5.1 परिचालन नेटवर्क : क्षेत्रीय योजना परिचालन नेटवर्क को निर्दिष्ट करती है, जो अन्य स्रोत आंकड़ों पर आधारित होता है। वास्तविक विस्तृत संरेखण वास्तविक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/स्थल सर्वेक्षण के सन्दर्भ में होगा और इसलिए सड़क संरेखण को, अंतिम रूप दिए जाने के समय इसमें थोड़े बहुत संशोधन किए जा सकते हैं, जिन्हें सेक्टर योजनाओं/ले आउट योजनाओं में शामिल किया जाएगा। इन योजनाओं/क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने एवं उनके पुनर्वास हेतु एक वास्तविक नीति बनाने की सिफारिश की गई है।



2.5.2 सड़क, रेल, हवाई मार्ग :

द्वारका उप-नगर हेतु एक शहर से दूसरे शहर में और शहर के अंदर आवागमन में वृद्धि करने के लिए एक अत्यधिक कुशल जन परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है । अतः एक बहुविध परिवहन प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें रेलवे मार्ग सहित एक रोड नेटवर्क शृंखला शामिल है ।

द्वारका उप-नगर में अपनाई गई सड़क प्रणाली की शृंखला निम्नानुसार है :-

- (i) प्राइमरी मुख्य सड़कें - 100 मीटर मार्गाधिकार एवं 80 मीटर मार्गाधिकार
- (ii) अन्य मुख्य सड़कें - 60 मीटर मार्गाधिकार एवं 45 मीटर मार्गाधिकार
- (iii) प्राइमरी उप मुख्य सड़कें (कलैक्टर) - 30 मीटर
- (iv) सैकेन्डरी उप मुख्य सड़कें (कलैक्टर) - 18 मीटर

2.5.3 एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर :

- (i) सैक्टर 21 तक के-2 जोन को आई.टी.ओ. बाराखम्भा रोड -नजफगढ़ लाइन के एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर द्वारा जोड़ा गया है ।
- (ii) सैक्टर 21 से आरम्भ होने वाला एक नया कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम एवं उत्तर में 100 मीटर वाली सड़क के साथ-साथ रोहिणी और नरेला परियोजनाओं को जोड़ेगा ।
- (iii) सैक्टर-21 द्वारका को ई.गां.अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नगर केन्द्र (राजीव चौक) से जोड़ने का भी प्रस्ताव है ।

2.5.4 एकीकृत महानगर यात्री टर्मिनल :

सैक्टर 21 में एक एकीकृत महानगर यात्री टर्मिनल का प्रस्ताव किया गया है जो लगभग 140 हैक्टेयर में होगा जिसका उपयोग यात्रियों द्वारा गाड़ी बदलने के स्थान के रूप में उत्तरी रेलवे और डी.एम.आर.सी. द्वारा उपयोग किया जाएगा ।

2.5.5 अ.रा.बस अड्डा :

सैक्टर-22 में लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक अ.ब. अड्डे का प्रस्ताव है, जो द्वारका की एन.एच.-8 और एन.एच.-10 से जोड़ने वाली 100 मी. की सड़क पर है ।

2.5.6 हवाई अड्डा :

द्वारका को एन.एच.-8 से जोड़ने वाली 100 मीटर लिंक रोड द्वारा के-2 जोन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा गया है ।

2.5.7 पार्किंग :

दि.मु.यो.-2021 के मानदण्डों के अनुसार पार्किंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपनगर केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, टर्मिनलों, अलग पॉकेटों और पुनर्विकास क्षेत्रों आदि में विशिष्ट बहुस्तरीय पार्किंग प्रस्तावित है । प्लान में 4 स्थान दर्शाये गए हैं । वास्तविक अवस्थिति और क्षेत्र को यातायात विभाग से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा ।

2.5.8 ईंधन केन्द्र (फ्यूल स्टेशन) :

ईंधन केन्द्र क्षेत्रीय विकास योजना और सेक्टर नक्शों में दर्शाये गए हैं । विभिन्न उपयोग जोनों अर्थात् आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य क्षेत्रों के



ले-आउट नक्शों को तैयार करने के समय ईंधन केन्द्रों को दि.मु.यो.-2021 में दिये गए मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए पहले से विद्यमान प्राधिकृत सी.एन.जी. सर्विस स्टेशनों को ले-आउट योजनाओं/स्थानीय क्षेत्र योजनाओं/पुनर्विकास योजनाओं के तैयार किए जाने तक केवल इसी उद्देश्य के लिए जारी रखा जा सकता है।

2.6 पर्यावरण/महत्वपूर्ण क्षेत्र

2.6.1 खुले स्थानों की प्रणाली :

कुल उपनगर क्षेत्र का लगभग 17 प्रतिशत मनोरंजनात्मक क्षेत्र में आता है। मनोरंजनात्मक क्षेत्र की व्यवस्था जिला पार्क (नाले के किनारे और साथ लगे निचले क्षेत्र के साथ-साथ) और खेल परिसर के रूप में की गई है।

2.6.2 जलाशय :

1 हैक्टेयर से अधिक वाले सभी यथा निर्धारित जलाशयों का संरक्षण किया जाना और उन्हें बनाए रखा जाना प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार गांव पालम, बागडोला, अम्बरहाई, पोचनपुर के राजस्व रिकार्ड के अनुसार बताए गए जलाशयों को जलाशय के रूप में विकसित और संरक्षित करने की योजना बनाई गई है।

2.6.3 हरित पट्टी :

मुख्य योजना के प्रावधान के अनुसार बिजवासन सड़क के दक्षिण में लगभग 264 हैक्टेयर भूमि को हरित पट्टी के रूप में शामिल कर लिया गया है।

2.7 शहरी डिजाइन के लिए क्षेत्र :

रेखीय जिला केन्द्र का शहरी डिजाइन विशेष रूप से सेक्टर 14,13,12,11,10 में मेट्रो स्टेशनों के आस-पास तैयार कर लिया गया है और इसे दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2.8 निर्मित विरासत का संरक्षण :

के-2 जोन में महत्वपूर्ण निर्मित विरासत के-2 जोन के गांवों तक सीमित है। इन गांवों के विकास के लिए स्थानीय एजेंसियों द्वारा ग्राम विकास योजना का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

भारतीय पुरातत्व विभाग ने पहले मुगल शहंशाह बाबर के शासनकाल 1528 ई.में निर्मित केवल एक मस्जिद (पालम गांव के मुख्य चौक से दक्षिणी-पश्चिम में) को संरक्षित स्मारक के रूप में निर्धारित किया है।

2.9 भौतिक आधारिक संरचना

2.9.1 जल आपूर्ति :

अनुमानित जनसंख्या के आधार पर जोन के-2 के लिए जलापूर्ति की मांग 60 एम.जी.डी. होने का अनुमान है, जिसकी आपूर्ति जोन के-2 से लगे हुए गाँव मसूदाबाद के प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र द्वारा की जाएगी। जलापूर्ति प्रणाली में भूमिगत जलाशय/कमान्ड टैंक (एक कमान्ड टैंक 1.5 लाख से 2.0 लाख तक की जनसंख्या को पानी देगा) शामिल होंगे, जो आपस में जुड़े होंगे। प्रत्येक कमान्ड टैंक का इसका अपना कमान्ड क्षेत्र है।



2.9.2 सीवरेज :

अनुमानित जनसंख्या के आधार पर जोन के-2 में मल व्ययन लगभग 48 एम.जी.डी. होगा। द्वारका में एक मल-जल शोधन संयंत्र की योजना बनाई गई है। मल-जल शोधन संयंत्र का स्थान ढलान और स्थल स्थितियों द्वारा तय किया जाता है। मल-जल व्ययन प्रणाली में ग्रेविटी मेन, सीवेज पंपिंग स्टेशन (एस.पी.एस.) और राइजिंग मेन शामिल हैं। मल जल शोधन संयंत्र नजफगढ़ नाले के निकट स्थित है जो शोधित मल को बहाकर ले जाएगा और कुछ शोधित मल-जल को प्रस्तावित हरित क्षेत्रों के रख-रखाव में उपयोग में लाया जाएगा।

2.9.3 ड्रेनेज :

जल-निकास प्रणाली सम्पूर्ण द्वारका परियोजना के कुल आवाह क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) के लिए बरसात की तीव्रता और 70 प्रतिशत औसत प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है। नजफगढ़ नाले की तरफ विद्यमान प्राकृतिक ढलान इसे अधिक मितव्ययी और उत्कृष्ट रूप से समीचीन बनाता है कि इस प्राकृतिक ढलान का उपयोग एक समुचित जल-निकास प्रणाली तैयार करने के लिए किया जा सके। छ: बड़े बाहर गिरने वाले नालों के निर्माण प्रस्तावित है, जो जोन के-2 के मल-जल को बहाकर ले जाएंगे। ये नाले इनसे जुड़े हुए हरित क्षेत्र से होकर गुजरेंगे ताकि ये निकटवर्ती हरित क्षेत्र के भू-दृश्यांकन के साथ समाविष्ट हो जाएं। नजफगढ़ नाले के साथ कुछ धारणशील तालाबों (रिटेंशन पोंड्स) का प्रस्ताव किया गया है, जहाँ बाहर गिरने वाले नाले से मल-जल जमा होगा। इनसे आस-पास के क्षेत्र के जल स्तर को उठाने में भी मदद मिलनी चाहिए और ये जल क्रीड़ा आदि के लिए भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। नजफगढ़ नाले के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

2.9.4 कूड़ा निपटान :

द्वारका उपनगर के निवासियों और वहां बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दिन-प्रतिदिन का कूड़ा लगभग 80 एम.टी. होने का अनुमान है। जोन के-2 के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसके उड़ान पथ के निकट होने के कारण वहां बड़ी मात्रा में कूड़े के निपटान के लिए आधुनिक और परिष्कृत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। द्वारका में और इसके आस-पास कूड़े को जैविकीय तथा गैर जैविकीय में शोधन के लिए उपयुक्त भूमि के निर्धारण पर भी उपयुक्त रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2.9.5 विद्युत :

द्वारका उपनगर हेतु बिजली की कुल आवश्यकता 500 मेगावाट निर्धारित की गई है। यहां एक ग्रिड स्टेशन बनाया गया है, जो ओवरहेड फीडर से 400 के.वी. बिजली प्राप्त करेगा और 220 के.वी.के तीन ग्रिड स्टेशनों को बिजली प्रदान करेगा। ये ग्रिड स्टेशन आगे 66 के.वी. के ग्यारह ग्रिड स्टेशन को और अंत में 11 के.वी. ग्रिड स्टेशन को बिजली प्रदान करेंगे। सम्पूर्ण द्वारका क्षेत्र में 66 के.वी., 220 के. वी. के लिए भूमिगत केबल बिछाना प्रस्तावित है। सैक्टर-29 में 750 के.वी. के गैस पावर स्टेशन के लिए एक नया स्थल निर्धारित किया गया है।



2.10 हरित पट्टी

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, एक गाँव की डैथ तक हरित पट्टी के रूप में बनाये जाने की सिफारिश की गई है। के-2 जोन में बिजवासन-नजफगढ़ मार्ग और रा.रा. क्षे.दिल्ली की सीमा के बीच 264 हेक्टेयर क्षेत्र के अन्दर हरित पट्टी के रूप में प्रस्तावित है। इन हरित पट्टियों में उपयोग की अनुमेयता दि.मु.यो.-2021 के मानदण्डों के अनुसार होंगी।

2.11 मनोरंजनात्मक उपयोग

जोन के-2 में मनोरंजनात्मक उपयोग के लिए 16.53% भूमि का प्रस्ताव किया गया है। सैक्टर-5, 16, 19, 20, 23, 24, 25 एवं 29 में नगर स्तर के बड़े आकार के मनोरंजनात्मक उपयोगों का प्रस्ताव किया गया है।

2.12 प्रस्तावित भूमि उपयोग

के-2 जोन के प्रस्तावित भूमि उपयोग में पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र एवं द्वारका के सैक्टर 1 से सैक्टर 29 और बिजवासन रोड के दक्षिण में बनी हरित पट्टी शामिल हैं। जोन-के (पार्ट) द्वारका की पहले से अधिसूचित (7-8-2006 को) भूमि उपयोग योजना को अनुबन्ध-II के अनुसार पुनः संशोधित किया गया है और जोन की वास्तविक स्थिति तालिका-3 में दी गई है।

तालिका-3

क्रम सं.	अवस्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	संशोधन		टिप्पणी
			से	में	
1.	सैक्टर-14	15.26 0.45 6.98 5.09	आवासीय व्यावसायिक मनोरंजनात्मक परिवहन	सकल आवासीय (निर्मित)	वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्मित के कारण
2.	सैक्टर-25	5.95	व्यावसायिक (सेवा केन्द्र)	सकल आवासीय (निर्मित)	-वही-
3.	सैक्टर-23 फेज-2	19.02 0.08 1.96 4.65	आवासीय आवासीय मनोरंजनात्मक परिवहन	सकल आवासीय (निर्मित)	-वही-
4.	सैक्टर-16 (ख)	9.68 3.20 2.01	आवासीय मनोरंजनात्मक परिवहन	सकल आवासीय (निर्मित)	-वही-
5.	सैक्टर-19 (फेज-2)	1.58 0.02 0.54	आवासीय मनोरंजनात्मक परिवहन	सकल आवासीय (निर्मित)	-वही-
6.	सैक्टर-27	8.40 0.17	आवासीय मनोरंजनात्मक	सकल आवासीय	-वही-



		0.72	परिवहन	(निर्मित)	
7.	सैक्टर-28	13.13	आवासीय	सकल	-वही-
		2.10	व्यावसायिक	आवासीय	
		1.84	परिवहन	(निर्मित)	
		0.40	मनोरंजनात्मक		
8.	सैक्टर-29	22.05	आवासीय	सकल	-वही-
		0.35	आवासीय	आवासीय	
		1.82	परिवहन	(निर्मित)	
9.	सैक्टर-26	0.88	आवासीय	सकल	-वही-
		0.16	परिवहन		
10.	सैक्टर-23 फेज-1	2.97	मनोरंजनात्मक	सकल	-वही-
				आवासीय	
				(निर्मित)	
11.	सैक्टर-21	9.88	परिवहन	सकल	-वही-
				आवासीय	
				(निर्मित)	
12.	सैक्टर-15	96.24	आवासीय	सकल	-वही-
		7.20	पी.एस.पी.	आवासीय	
		1.10	उपयोगिता	(निर्मित)	

उक्त स्थिति के आधार पर जोन के-2 (2021) के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग नक्शा-3 में संलग्न है।

के-2-2021 का प्रस्तावित भूमि उपयोग

तालिका-4

क्रम सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रतिशतता
1	आवासीय क) निर्मित (पुनर्विकास) ख) नियोजित क्षेत्र	2956.65 1933.33(32.64 प्रतिशत) #1023.32 (17-27 प्रतिशत)	49.91
2	व्यावसायिक क) व्यावसायिक (आई.एफ.सी.सहित) ख) सेवा केन्द्र	342.82 299.77 43.05	5.78



3	सरकारी उपयोग	99.97	1.69
4	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग	363.00	6.13
5	उपयोगिता	154.66	2.61
6	मनोरंजनात्मक	979.30	16.53
7	परिवहन	763.60	12.89
8	हरित पट्टी	264.00	4.46
जोन के.2	कुल	5924.00	100.00

नक्शा-2 में दर्शाए गए निर्मित क्षेत्र का भूमि उपयोग केवल अनुमानित है जिसका नीति के अनुसार पुनर्विकास किया जाना है।

2.13 चरण और कार्यान्वयन

2.13.1 : दि.वि.प्रा. द्वारा विकास :

के-2 का विकास दो चरणों में किया जाएगा अर्थात् दि.वि.प्रा. की भूमि का कार्यान्वयन और विकास तथा निर्मित क्षेत्रों और गाँवों के लिए पुनर्विकास योजनाएँ। प्रत्येक गाँव के लिए तैयार की गई गाँव विकास योजना के अनुसार स्थानीय एजेंसियों द्वारा गाँव का विकास किया जाएगा।

2.13.2 पुनर्विकास योजनाएं :

प्रस्तावित पुनर्विकास योजना निर्मित क्षेत्र में मुख्य प्रस्तावित सड़कों के साथ-साथ होंगी, जो स्थानीय एजेंसियों द्वारा प्रारंभ की जाएंगी। मिश्रित उपयोग की अवधारणा पुनर्विकास योजना तैयार करते समय क्रियान्वित की जाएगी। गाँवों को विशिष्ट क्षेत्र के रूप में देखा जाएगा और गाँवों के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले प्लान तैयार किए जाएंगे।

2.14 प्लान का पुनरीक्षण और मॉनीटरिंग

नगर में जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए अपेक्षित बदलावों का मूल्यांकन करने के लिए जोनल प्लान मॉनीटरिंग अनिवार्य है। सही प्रकार चरणबद्ध मॉनीटरिंग विलीन हो रही सामाजिक-आर्थिक तत्वों को क्रियाशील बनाने में मदद करती है। प्लान का कार्यान्वयन तभी कारगर हो सकता है, जब सही अंतरालों पर उसे मॉनीटर किया जाए और उसका पुनरीक्षण किया जाए।

कोई लम्बी अवधि का प्लान उसी रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। परियोजनाओं और योजनाओं के अनुसार कार्यान्वयन की प्रक्रिया विभिन्न निर्धारित अवधियों में बाँटी जाएगी। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मुख्य योजना के प्रत्येक पहलू के लिए समय-समय पर मॉनीटरिंग की जानी आवश्यक है।

निम्नलिखित के लिए वैज्ञानिक मॉनीटरिंग की व्यवस्था अनिवार्य है :

- 1) योजना अवधि में प्लान का प्रभावी कार्यान्वयन, जिसके द्वारा प्रत्याशित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा।
- 2) नगर के लोगों की बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करना।



- 3) नगर में अवांछित वृद्धि को रोकना ।
- 4) विभिन्न कार्यान्वयन योजनाओं और लोगों की आवश्यकताओं के बीच का अंतराल ।
- 5) प्लान नीतियों के औचित्य का पुनरीक्षण ।
- 6) मुख्य योजना के लक्ष्यों के लिए मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क से विभिन्न सैक्टरों के कार्य का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है जिसे प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता है । विचारक पहलुओं और उनके लक्ष्यों के लिए कम अवधि मॉनीटरिंग की आवश्यकता है ताकि लगातार समय-समय पर उनका पुनरीक्षण किया जा सके ।



अनुबंध-I

दि.मु.यो.-2001 और दि.मु.यो.-2021 के अंतर्गत तैयार की गई जोनल प्लानों में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	दि.मु.यो.-2001	दि.मु.यो.-2021	टिप्पणी
1.	जोन का नाम	जोन के (भाग) द्वारका उपनगर	जोन के-2	
2.	क्षेत्रफल	5648 हेक्टेयर	5924 हेक्टेयर	नजफगढ़ - बिजवासन रोड और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली की सीमा के बीच का क्षेत्र दि.मु.यो. 2021 में जोड़ा गया है।
3.	प्रस्तावित जनसंख्या	11 लाख	13 लाख	
4.	हरित पट्टी	-	264 हेक्टेयर	नजफगढ़ - बिजवासन रोड और रा.रा.क्षे. दिल्ली सीमा के बीच का क्षेत्र जो पहले ग्रामीण उपयोग जोन था, उसे अब दि.मु.यो. 2021 भूमि उपयोग योजना के अनुसार हरित पट्टी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
5.	अनधिकृत कालोनियां	जोन क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र में आता है।	पहले के अतिरिक्त, सेक्टर 14, 15, 16 और 23 की अनधिकृत कालोनियां जोनल प्लान में निर्मित क्षेत्र के रूप में दर्शाई गई हैं।	सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र 'पुनर्विकास क्षेत्र' के रूप में प्रस्तावित है और इसका पुनर्विकास इस विषय पर बनी नीति के अनुसार किया जाएगा।



अनुबंध-II

क्षेत्रीय योजना में समाविष्ट संशोधन :

क. दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11 (क) के अंतर्गत जारी दिल्ली मुख्य योजना-2021 में भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु अधिसूचनाएँ

क्र. सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	संशोधन		टिप्पणी
			से	में	
1.	सैक्टर-10	0.6172	“आवासीय” (आवास क्षेत्र सुविधाएँ)	“सरकारी उपयोग” (वकीलों के कमरों एवं मालखाना के निर्माण हेतु जिला न्यायालय, द्वारका)	शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली खंड), भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2008 को जारी सांविधिक आदेश सं. 1617 की अधिसूचना (के-13011/6/2007-डीडी आईबी)
2.	सैक्टर-10	0.8140	“व्यावसायिक” (समाज सदन)	“सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएँ”	
3.	सैक्टर-24	3.5	मनोरंजनात्मक	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (कब्रिस्तान/श्मशान)	2006 में अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना एवं दिल्ली मुख्य योजना 2021 में समाविष्ट

ख. दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पृष्ठ सं. 126 पर टिप्पण संख्या 1 में उपखंड 8 (2) के अनुसार सभी उपयोग जोनों में अनुमत, पार्क, खुली पार्किंग, परिचालन और जन सुविधाओं से संबंधित संशोधन

क्र. सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	संशोधन		टिप्पणी
			से	में	
1.	सैक्टर-29	4.0	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	सुविधा (पावर प्लांट)	प्रस्तावित गैस आधारित पावर प्लांट के लिए दिनांक 12-04-2007 की मद सं. 46/07 के द्वारा तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित।
		13.0	आवासीय	सुविधा (पावर प्लांट)	
2.	सैक्टर-27, 28 एवं 29	4.0	आवासीय	परिवहन	दिनांक 7-08-2006 को अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना जोन-के-पार्ट द्वारका के अनुसार प्रस्तावित 45 मी. सड़क मार्गाधिकार से 80 मी. सड़क मार्गाधिकार (यूईआर) को चौड़ा करना
		12.0	हरित पट्टी	परिवहन	
3.	सैक्टर-24	4.04	मनोरंजनात्मक	परिवहन	आधारिक योजना एवं क्षेत्रीय



					विकास योजना (2006) के अनुसार 30 मीटर का मार्गाधिकार है। क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार 60 मीटर का मार्गाधिकार है दिनांक 17-03-2008 को आयोजित तकनीकी समिति की तीसरी बैठक, मद सं0 24/2008 के अनुसार संशोधित मार्गाधिकार 45 मीटर का है।
4.	सैक्टर-24	2.0	मनोरंजनात्मक	परिवहन	प्रस्तावित 100 मीटर मार्गाधिकार और प्रस्तावित 45 मीटर मार्गाधिकार सड़क के जंक्शन पर चौराहे के सुधार के लिए जोनल प्लान भूमि आरक्षण प्रस्तावित
5.	सैक्टर-16 सी	0.7 0.7	मनोरंजनात्मक आवासीय	परिवहन परिवहन	प्रस्तावित 100 मीटर सड़क से द्वारका में उपलब्ध कराने वाले नए लिंकेज के लिए 45 मीटर सड़क मार्गाधिकार के लिए जोनल प्लान में प्रस्तावित।
6.	सैक्टर-16 डी.	0.94	मनोरंजनात्मक	परिवहन	प्रस्तावित 100 मीटर सड़क से द्वारका में उपलब्ध कराने वाले नए लिंकेज के लिए 45 मीटर सड़क मार्गाधिकार के लिए जोनल प्लान में प्रस्तावित।
7.	सैक्टर-24	सैक्टर 24 में यह मनोरंजनात्मक उपयोग का भाग है।	परिवहन (नजफगढ़ नाले के साथ-साथ 30 मीटर सड़क)	मनोरंजनात्मक	सैक्टर-24 में 30 मीटर सड़क मनोरंजनात्मक उपयोग का भाग थी (प्रस्तावित 100 मीटर से पालम नाले), जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह दोनों ओर के किसी भी रिहायशी क्षेत्र को लिंक प्रदान नहीं करती।
8.	सैक्टर-21	7.87	सरकारी	रेलवे टर्मिनल	तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 15-05-2008 को मद संख्या 49/2008 एवं दिनांक 07-11-08 को मद संख्या 167/2008 द्वारा अनुमोदित



अनुबंध-III

दिनांक 01-05-2008 को मुख्य योजना अनुभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में पूर्व अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक सहित), स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सेवा संस्थानों के आवेदन की सूची

क्र. सं.	मिसिल सं./तिथि	संस्थानों का नाम	क्षेत्र/सैक्टर का नाम
1.	1233 / 20.6.2008	दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंस्टीट्यूट	राज नगर-II
2.	1315 / 24.6.2008	नव ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल	विजय एन्कलेव
3.	1424 / 25.6.2008	कैनेडी पब्लिक स्कूल	राज नगर-II (पालम कॉलोनी)
4.	1773 / 30.6.2008	हर्ष पब्लिक स्कूल	पश्चिम सागरपुर
5.	1827 / 30.6.2008	नव जीवन एकेडमी	मधु विहार
6.	1857 / 30.6.2008	नूतन पब्लिक स्कूल	दुर्गा पार्क
7.	1882 / 30.6.2008	मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल	सागर पुर
8.	1942 / 30.6.2008	शिव वाणी मॉडल सी. सै. स्कूल	महावीर एन्कलेव
9.	1976 / 30.6.2008	नूतन बाल विद्यालय	पश्चिम सागरपुर
10.	2441 / 30.6.2008	ग्रेवाल एजुकेशनल सोसायटी	भारत विहार, ककरोला
11.	2694 / 30.6.2008	दौलत राम पब्लिक स्कूल	जगदम्बा विहार, पश्चिम सागर पुर
12.	1824 / 30.6.2008	न्यू होली पब्लिक स्कूल	शीशराम पार्क, उत्तम नगर
13.	2076 / 30.6.2008	महिमा चिल्ड्रनस वैली पब्लिक स्कूल	राजा पुरी, उत्तम नगर
14.	1641 / 27.6.2008	सेंट एशियन्स पब्लिक स्कूल	राजा पुरी, उत्तम नगर
15.	2128	गगन भारती सी. सै. स्कूल	ओम विहार
16.	1954 / 27.6.2008	राधास्वामी सत्संग, ब्यास	सैक्टर-23, द्वारका फेस-II
17.	1990 / 30.6.2008	शिक्षा भारती एजुकेशनल सोसायटी	सैक्टर-7, द्वारका
18.	1830 / 30.6.2008	नव जीवन एकेडमी	जीवन पार्क
19.	1917 / 30.6.2008	आर.एस.एम. कॉन्वेंट स्कूल	सागरपुर
20.	2042 / 30.6.2008	डिवाइन मॉडर्न पब्लिक स्कूल	राजनगर-II (पालम कालोनी)
21.	1880 / 30.6.2008	सेंट मिशेल पब्लिक स्कूल	बिंदापुर
22.	2197 / 14.7.2008	न्यू होली पब्लिक स्कूल	आर्य समाज रोड, उत्तम नगर



23.	1811 / 30.6.2008	हैप्पी चाइल्ड मॉडल स्कूल	जैन कालोनी पार्ट-III, उत्तम नगर
24.	2070 / 30.6.2008	शिशु कल्याण पब्लिक स्कूल	अनूप नगर, जीवन पार्क, उत्तम नगर
25.	1813 / 30.6.2008	हैप्पी चाइल्ड मॉडल स्कूल	उत्तम नगर
26.	2080 / 30.6.2008	हरि कृष्णा पब्लिक स्कूल	उत्तम नगर

नोट : उपर्युक्त संस्थानों का नियमितकरण क्षेत्रीय समिति की जाँच एवं दिनांक 10-04-2008 के प्राधिकरण के निर्णय अनुसार अनुमोदन हेतु आगे प्रक्रिया और भारत सरकार के पत्र सं. के-12011/23/2009-डीडीआईबी दिनांक 8 मार्च, 2010 द्वारा निर्धारित सभी शर्तों के पूरा करने पर निर्भर करेगा। इनमें से कुछ सुविधाएं जिनको कि प्लान में विद्यमान सुविधाओं के रूप में दर्शाया गया है वे सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन, जो कि सभी शर्तों के पूरा करने पर निर्भर करता है, प्राप्त होने तक उपयोग क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगी।



जोन के-2 में अनधिकृत कॉलोनियों की सूची

अनुबंध-IV

क्रम सं.	अनधिकृत कॉलोनियों के नाम
1.	इन्द्रा पार्क (पूर्वी विस्तार) (नसीरपुर)
2.	बिन्दापुर विस्तार (बिन्दापुर)
3.	सूरज विहार ए, बी ब्लॉक एवं बजाज एन्कलेव विस्तार
4.	डाबड़ी विस्तार (डाबड़ी)
5.	विकास विहार (ककरोला)
6.	चाणक्य प्लेस पार्ट-II (बिन्दापुर)
7.	जनकपुरी कॉलोनी, उत्तम नगर (बिन्दापुर)
8.	सीतापुरी विस्तार II, जी-1 ब्लॉक (डाबड़ी)
9.	दीया ब्लॉक, महावीर एन्कलेव-I, डाबड़ी पालम रोड
10.	अम्बिका एन्कलेव (ककरोला)
11.	विजय एन्कलेव, सी-2 ब्लॉक (पालम)
12.	मोहन ब्लॉक वेस्ट सागरपुर (डाबड़ी)
13.	डी-ब्लाक जीवन पार्क (असालतपुर)
14.	श्याम विहार (ककरोला)
15.	मंसा राम पार्क, ई-ब्लॉक (मटियाला)
16.	कैलाशपुरी विस्तार (नसीरपुर)
17.	मेजर भोला राम एन्कलेव (पोचनपुर)
18.	नन्द विहार (ककरोला)
19.	सीतापुरी
20.	चन्द्र पार्क (ककरोला)
21.	सीतापुरी पार्ट-II (बिन्दापुर)
22.	सी-1 ब्लॉक संजय एन्कलेव, उत्तम नगर (बिन्दापुर)
23.	प्रताप गार्डन (बिन्दापुर)
24.	साधनगर, एफ ब्लॉक, उत्तम नगर (बिन्दापुर)
25.	टी.ए.बी. ब्लॉक, उत्तम नगर (बिन्दापुर)
26.	शिव पार्क (ककरोला)
27.	विष्णु विहार, ब्लॉक- V (बिन्दापुर)
28.	साध नगर, एफ ब्लॉक लैफ्ट आउट एरिया (नसीरपुर)
29.	महावीर एन्कलेव विस्तार 1, एच-1, एच-2, ब्लॉक (पालम)
30.	सुभाष पार्क विस्तार बी-ब्लॉक, उत्तम नगर (बिन्दापुर)
31.	श्रीचन्द पार्क (मटियाला)
32.	राजू विस्तार ओल्ड पालम रोड (ककरोला)
33.	राज नगर- II विस्तार (पालम)
34.	राजनगर रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी (पालम)
35.	फेडरेशन ए, बी, डी, ई, ब्लॉक, भरत विहार (ककरोला)
36.	सीतापुरी विस्तार पार्ट- I
37.	रघु नगर, पंखा रोड, डाबड़ी
38.	नसीरपुर, महावीर एन्कलेव, ब्लॉक डी एवं एफ
39.	ई-ब्लॉक साध नगर- II (नसीरपुर)
40.	वैशाली विस्तार



41.	तारा नगर (ककरोला)
42.	सुलहकुल विहार (ककरोला)
43.	पोचनेपुर विस्तार (पोचनपुर)
44.	साध नगर (नसीरपुर)
45.	शाह नगर, मंगलापुरी चौक (पालम)
46.	सी-ब्लॉक, भरत विहार (ककरोला)
47.	साध नगर (पालम)
48.	वैशाली डाबड़ी रोड (डाबड़ी, वैशाली)
49.	एफ-पॉकेट, साध नगर पार्ट- II (नसीरपुर)
50.	टी ब्लॉक के समीप, उत्तम नगर (मटियाला)
51.	महावीर विहार (पालम, मिर्जापुर)
52.	कमल पार्क (पालम)
53.	पंचशील कॉलोनी, एफ-ब्लॉक, महावीर एन्कलेव
54.	बी-ब्लॉक, पोचनपुर विस्तार
55.	सिंडिकेट एन्कलेव (डाबड़ी)
56.	रोहताश नगर (मिर्जापुर, पालम)
57.	एफ-ब्लॉक, महावीर एन्कलेव पार्ट- I, पालम (नसीरपुर)
58.	बी ब्लॉक, कैलाश पुरी कॉलोनी (नसीरपुर)
59.	यू-ब्लॉक, उत्तम नगर
60.	राजापुरी जी, के, एल, एम, एस ब्लॉक (पालम)
61.	ओ-ब्लॉक विस्तार गीता एन्कलेव, उत्तम नगर (बिन्दापुर)
62.	सुभाष पार्क विस्तार, राजापुरी विस्तार (बिन्दापुर)
63.	शिवानी एन्कलेव फेज- I, II, एवं III (ककरोला)
64.	आर-ब्लॉक एवं विस्तार वाणी विहार (बिन्दापुर)
65.	पटेल गार्डन विस्तार (ककरोला)
66.	अनूप नगर (बिन्दापुर)
67.	जैन पार्क (मटियाला)
68.	बी- I एवं बी- II ब्लॉक, विजय एन्कलेव
69.	सी-3 एवं 1 ब्लॉक, महावीर एन्कलेव विस्तार (मिर्जापुर)
70.	सी, ई एवं एफ ब्लॉक, विश्वास पार्क (पालम)
71.	भरत विहार विस्तार (ककरोला)
72.	सेवक पार्क डी, ई एवं एफ ब्लॉक (मटियाला)
73.	सी-3 ब्लॉक, महावीर एन्कलेव, पालम रोड (मिर्जापुर)
74.	टी ए-ब्लॉक, ओम विहार (मटियाला)
75.	पंकज, अंबर हाई के नजदीक, सैक्टर-19, द्वारका
76.	चाणक्य प्लेस, पंखा रोड (असालतपुर)
77.	बी एवं सी ब्लॉक, महावीर एन्कलेव (पालम)
78.	विजय एन्कलेव बी-3 ब्लॉक, पालम-डाबरी रोड (मिर्जापुर)
79.	नन्हें पार्क, बी-1 ब्लॉक (मटियाला)
80.	महावीर एन्कलेव जी, एच एवं आई ब्लॉक (पालम)
81.	एफ ब्लॉक जीवन पार्क, उत्तम नगर (असालतपुर)
82.	शिव विहार (सेवक पार्क), नजफगढ़ रोड (मटियाला)
83.	साउथ ब्लॉक (मटियाला)
84.	विकास विहार क्यू-ब्लॉक, उत्तम नगर (बिन्दापुर)



85.	केशव राम पार्क (बिन्दापुर)
86.	टी विस्तार (जैन कॉलोनी पार्ट- I) उत्तम नगर (मटियाला)
87.	नन्दा ब्लॉक, महावीर एन्कलेव (पालम)
88.	नन्दा ब्लॉक, महावीर एन्कलेव (पालम)
89.	देव कुंज, राज नगर, पार्ट- I I (पालम)
90.	ओल्ड जानकी पुरी, उत्तम नगर (बिन्दापुर)
91.	एल-ब्लॉक, महावीर एन्कलेव (पालम)
92.	मेन भारत गार्डन (मटियाला)
93.	विजय नगर 'ए' ब्लॉक, पालम डाबड़ी रोड
94.	दुर्गा पार्क, पॉकेट-ई (नसीरपुर)
95.	सैनिक नगर कॉलोनी (मटियाला)
96.	सेवक पार्क बी- I विस्तार, उत्तम नगर (मटियाला)
97.	साध नगर पार्ट- II, पालम कॉलोनी (नसीरपुर)
98.	आदर्श नगर, बिन्दापुर विस्तार (बिन्दापुर)
99.	खुशी राम पार्क, उत्तम नगर (मटियाला)
100.	मोहिन्द्र पार्क, पंखा रोड (असालतपुर)
101.	राजापुरी, विश्वास पार्क विस्तार (पालम)
102.	महावीर एन्कलेव, पार्ट- II (पालम)
103.	राज नगर- I, पालम कॉलोनी (पालम/एस डब्ल्यू)
104.	ए-ब्लॉक पोचनपुर विस्तार (पोचनपुर)
105.	मोहिन्द्र पार्क, पंखा रोड (असालतपुर)
106.	सी-2 ब्लॉक, महावीर एन्कलेव पार्ट- I (मिर्जापुर)
107.	जे-ब्लॉक वेस्ट सागरपुर (नसीरपुर)
108.	एल-ब्लॉक, विजय एन्कलेव (पालम)
109.	विश्वास पार्क, जी एवं एस ब्लॉक (मटियाला)
110.	पालम विहार, द्वारका सैक्टर-6 (पालम)
111.	महावीर एन्कलेव, पालम (पालम)
112.	बी-2 ब्लॉक, नन्दराम पार्क, भगवत एन्कलेव (बिन्दापुर)
113.	एच-2 ब्लॉक, राजनगर- II विस्तार, पालम कॉलोनी
114.	नन्हे पार्क (मटियाला)
115.	आदर्श गली, पालम (पालम)
116.	एफ ब्लॉक, विश्वास पार्क (पालम)
117.	इन्द्रा पार्क विस्तार पार्ट- I (बिन्दापुर)
118.	मटियाला विस्तार (मटियाला)
119.	मधु विहार सैक्टर-3, पालम (पालम, डाबड़ी)
120.	तमिल एन्कलेव, डाबड़ी (पालम)
121.	महावीर एन्कलेव ब्लॉक-ई, जी, एच-1, एच-2 एवं एच-3, पालम (पालम, डाबड़ी)
122.	इन्द्रा पार्क विस्तार पार्ट-2 (नसीरपुर)
123.	सी डी ब्लॉक महावीर एन्कलेव डाबड़ी-पालम रोड (मिर्जापुर)
124.	चन्द्र विहार, पालम विस्तार (पालम)
125.	गीतांजली पार्क, पालम विस्तार (पालम)
126.	आर.डब्ल्यू.ए., वी ब्लॉक, भगवती विहार (बिन्दापुर)
127.	निशान्त पार्क (ककरोला)



128.	जी ब्लॉक, विजय एन्कलेव और छूटा हुआ भाग (लैफ्ट आउट पोशन), पालम रोड, (मिर्जापुर)
129.	जैन कॉलोनी टी ब्लॉक, पार्ट- I और टी विस्तार, पार्ट- II , उत्तम नगर (मटियाला)
130.	मोहित नगर (ककरोला)
131.	जी-1 ब्लॉक महावीर एन्कलेव (मिर्जापुर पालम)
132.	महावीर एन्कलेव ब्लॉक डी, एफ, डाबडी रोड (नसीरपुर)
133.	(नसीरपुर)
134.	विजय एन्कलेव ए एण्ड बी ब्लॉक, डाबडी-पालम रोड (मिर्जापुर)
135.	बजाज एन्कलेव, पुराना पालम रोड (ककरोला)
136.	सीता पुरी एक्स. पार्ट- II, ब्लॉक ए, बी, सी, डी (बिंदापुर)
137.	एफ ब्लॉक नंद राम पार्क महावीर एनक्लेव पार्ट- III (बिंदापुर)
138.	शिव पुरी (नसीरपुर)
139.	उत्तम विहार क्यू. एक्सटेंशन (बिंदापुर)
140.	ओम विहार विस्तार, ब्लॉक ई.ई-1, उत्तम नगर (मटियाला)
141.	पी एण्ड टी ब्लॉक, वेस्ट सागरपुर
142.	ई-ब्लॉक, जीवन पार्क (असालतपुर)
143.	भारत विहार, राजापुरी, उत्तम नगर (पालम गाँव)
144.	बी ब्लॉक, विष्णु विहार, सेक्टर-ए, उत्तम नगर
145.	दुर्गापुरी द्वारका पुरी (पालम)
146.	चाणक्य प्लेस पार्ट-II (बिंदापुर)
147.	पोचनपुर विस्तार, सी ब्लॉक पोचनपुर
148.	बी, सी, एच, आई ब्लॉक, महावीर एन्कलेव, (मिर्जापुर पालम)
149.	दशरथपुरी के-ब्लॉक (डाबडी)
150.	राजापुरी कॉलोनी, उत्तम नगर (पालम)
151.	संजय एन्कलेव, उत्तम नगर (बिंदापुर)
152.	राजापुरी एक्स. उत्तम नगर (पालम)
153.	सी एण्ड डी ब्लॉक, विजय एनक्लेव (पालम)
154.	ब्लॉक-टी एक्सटेंशन, बिंदापुर
155.	वशिष्ठ पार्क
156.	मांगेराम पार्क (ए, बी, सी, डी, डी-1 एक्स.)
157.	हरी विहार (ककरोला)
158.	राजू एन्कलेव, ककरोला
159.	मोहन नगर, पंखा रोड
160.	एफ-2 ब्लॉक, महावीर नगर (नसीरपुर)
161.	पालम कुंज, हरिजन बस्ती, पालम
162.	चन्द्र विहार, पालम एक्स. पार्ट-1 (पालम)
163.	पोचनपुर विस्तार, सी-ब्लॉक (पोचनपुर)
164.	सांगवान एनक्लेव, मंगलापुरी रोड (पालम)
165.	बागडोला गाँव विस्तारित क्षेत्र (बागडोला)
166.	सी-ब्लॉक, पोचनपुर विस्तार (पोचनपुर)
167.	चोटियाल, पालम गाँव एक्स.
168.	ककरोला गाँव विस्तार क्षेत्र (ककरोला)
169.	बिंदापुर विस्तारित आबादी (बिंदापुर)




स्रोत : शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार


नोट : यह सूची नियमन प्रक्रियाधीन अनधिकृत कॉलोनियों की है। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और समय-समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसी भी विसंगति की स्थिति में रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सूची देखें।



अवस्थिति नक्शा जोन के-2



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली जोन





संकेत	
	नियोजित विकास
	निर्मित क्षेत्र आवासीय (घरेलू)
	निर्मित क्षेत्र (पुनर्विकसित क्षेत्र)
	अन्य निर्मित-क्षेत्र
	नियोजित क्षेत्र (विकास की प्रक्रिया में)
	मेट्रो ल्ट एवं स्टेशन
	विद्यमान-2021 के अनुसार हरित क्षेत्र



विद्यमान निर्मित-क्षेत्र क्षेत्रीय योजना के-2

	पैमाना		उत्तर
डी० पी० योजना सहायक		डी० पी० सिंघ सहायक निदेशक (योजना)	
रमन कुमार मन्डल संयुक्त निदेशक (योजना)		एस० पी० पाठक निदेशक (योजना)	
द्वारका परियोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण			



संकेत	
[Yellow box]	आवासीय (गैर सहित)
[Yellow box with diagonal lines]	निर्मित क्षेत्र (पुनर्विकास क्षेत्र)
[Pink box]	व्यवसायिक
[Blue box]	सर्वजनिक / अन्य सार्वजनिक
[Green box]	जल पार्श्व / उच्च संरक्षित क्षेत्र
[Blue box with diagonal lines]	इंधन पट्टीक्षेत्र
[Red box]	रेल परिसर
[Black box]	सरकारी
[Grey box]	जलसंधारण
[White box with diagonal lines]	उपवर्गीय सुविधाएं
[White box with diagonal lines]	रेलवे यात्री टर्मिनल
[White box with diagonal lines]	आवृत्त एस.बी.टी. टर्मिनल / डिपो
[White box with diagonal lines]	परिवहन सड़क
[White box with diagonal lines]	प्रस्तावित एम.आर.टी.एस. कॉरिडोर
[White box with diagonal lines]	दिल्ली विधानी रेलवे स्टेशन
[Black circle]	मेट्रो स्टेशन
[Black square]	मल्टी लेवल पार्किंग
[Black square]	जोन के-2 सीमा

- टिप्पणी
1. इस ज़ोन में निर्मित भूमि उपयोग मार्ग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई निर्मित भूमि उपयोग की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार होगी।
 2. दि.01/04/2010-2021 की नीति के अनुसार अनभिव्यक्त कॉलोनियों के लिए पुनर्विकास योजना तैयार की जाएगी।
 3. अनभिव्यक्त कॉलोनियों का विनियमन समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार किया जाएगा। आवासीय प्लॉटों की नीति के अनुसार बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया जाएगा।
 4. सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक सहित), वैज्ञानिक और हेल्थ केयर इन्स्टीट्यूट्स का विनियमन क्षेत्रीय विकास योजना (रिपोर्ट) के पैरा सं-2.4.2 में दी गई शर्तों/सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों को पूरा करने पर निर्भर होगा।
 5. मौजूदा फार्म हाउसों पर नीति के अनुसार एवं दिल्ली मुख्य योजना-2021 के प्रावधानों के अनुसार कारवायों की जाएगी।
 6. शहरी को पुनर्विकास योजना को उत्सर्ज आस-पास की विकास/योजनाओं के साथ मिला कर तैयार किया जाएगा।
 7. दि.01/04/2010-2021 के अनुसार झुपट क्षेत्रीय विकास योजना प्लान को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03-10-07 को मर सख्य 7बी/2007 द्वारा अनुमोदित किया गया।
 8. दि.01/04/2010 के अनुसार झुपट क्षेत्रीय विकास योजना प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17-12-2008 को मर संख्या 83/2008 के द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन देने के लिए अनुमोदित किया गया।
 9. दिनांक 03-3-2010 को पत्र संख्या 12011/23/2009/डी.डी.आई.बी. द्वारा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के आधार पर संशोधित किया गया।

पत्र संख्या 12011/23/2009/डी.डी.आई.बी. दिनांक 08-03-2010 के द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अनुमोदित किया गया।

ह
(सू. विश्वनाथम)
अवर सचिव, भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन
नई दिल्ली



भूमि उपयोग क्षेत्रीय योजना के-2

(दि.01/04/2010-2021 के अनुसार)

परामर्श

डी.डी.आई.बी. द्वारा

प्रधान सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

निदेशक (संयोजक)

द्वारका परियोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण